न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 49/12 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2012/00050

उनवान

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी करूआ जाति जाटव निवासी खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. फूलवती पत्नी मान सिंह
2. चरनी पुत्र पुन्नी (मृतक)
   2/1. बच्चू
   2/2. करूआ
   2/3. हरीबाबू
   2/4. संजू
   (पुत्र चरनी)
   2/5. श्रीमती फूलवती पत्नी

   (जाति जाटव नि0 खेडली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।)
3. श्रीमती शीला पुत्री स्व0 पुन्नी पत्नी राजनरेश जाति जाटव निवासी अंगूठी ब्लॉक बिचपुरी तहसील व जिला आगरा यू0पी0
4. रामदास
5. डालचन्द
6. सुरेश

   (पुत्र नत्थी जाति जाटव नि0 खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।)

.... असल रेस्पोंडेंट।

7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर

.........................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दि0 06.06.2012 मि.नं. 49/09 उनवानी फूलवती बनाम मुन्नी

अपील संख्याः– 48/12 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2012/00043

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उनवान

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी करूआ जाति जाटव निवासी खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

......................अपीलांट।

बनाम

1. रामदास
2. डालचन्द
3. सुरेश

} पुत्र नत्थी जाति जाटव नि0 खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4. फूलवती पत्नी मान सिंह
5. चरनी पुत्र पुन्नी (मृतक)
   - 5/1. बच्चू
   - 5/2. करूआ
   - 5/3. हरीबाबू
   - 5/4. संजू

   } पुत्र चरनी

   - 5/5. श्रीमती फूलवती पत्नी

} जाति जाटव नि0 खेडली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

6. श्रीमती शीला पुत्री स्व0 पुन्नी पत्नी राजनरेश जाति जाटव निवासी अंगूठी ब्लॉक बिचपुरी तहसील व जिला आगरा यू0पी0

.... असल रेस्पोंडेंट।

7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर

........................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दि0 06.06.2012 मि.नं. 09/10 उनवानी मुन्नी बनाम रामदास।

अपील संख्याः– 50/12 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2012/00051

उनवान

1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी करूआ जाति जाटव निवासी खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

......................अपीलांट।

बनाम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. फूलवती पत्नी मान सिंह
2. मान सिंह
3. बाबू
4. कैलाशी

(2–4 पुत्र छुट्टन; 1–4 जाति जाटव निवासी खेडली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।)

.... असल रेस्पोंडेंट।

5. डालचन्द
6. सुरेश

(5–6 पुत्र नत्थी)

7. रामदास
8. लालाराम

(7–8 पुत्र श्यामा)

9. अंगना
10. प्रेम सिंह
11. महावीर

(9–11 पुत्र फूलीराम)

12. रमजी पुत्र उदयराम
13. राकेश पुत्र जीवाराम

(5–13 जाति जाटव नि0 खेडली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।)

14. अमर सिंह पुत्र रामखिलाडी (मृतक)
    14 / 1. बृजकिशोर उम्र 10 साल
    14 / 2. रूपकिशोर उम्र करीब 8 साल

(14/1–14/2 पुत्र अमर सिंह नाबालिग जरिये चाची ईश्वरदेई वेवा लच्छो निवासी खेडली तह0 रूपवास।)

15. लच्छो पुत्र रामखिलाडी (मृतक)
    15 / 1. लाल सिंह
    15 / 2. आशीश
    15 / 3. ज्ञान सिंह
    15 / 4. शेखर

(15/1–15/4 पुत्र स्व0 लच्छो)

    15 / 5. ईश्वरदेई वेवा लच्छो
16. हजारी पुत्र मोती

(15–16 जाति जाटव नि0 खेडली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।)

17. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर

..........................तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दि0 06.06.2012 मि.नं. 17 / 09 उनवानी मुन्नी देवी बनाम फूलवती।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा, श्री हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

निर्णय

दिनांक–20.02.2024

1. यह तीनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। तीनो अपीलो में समान विवादित आराजी, समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति तीनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

2. अपील संख्या 49 / 12 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 संख्या 01 फूलवती ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3478 / 999 / 1–05 बीघा वाके ग्राम खेडली तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी के 1 / 8 हिस्सा की वादी रैस्पो0 संख्या 01 खातेदार है व 1 / 4 भाग की प्रतिवादी अपीलाण्ट मुन्नी खातेदार है व 1 / 8 भाग की प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 व 03 के पूर्व पुरूष पुन्नी व 1 / 2 भाग के शेष प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 06 खातेदार काश्तकार हैं। वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 23.01.2009 को जरिये 46200 रूपये में प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 के पूर्व पुरूष पुन्नी से क्रय किया है। उक्त वयनामा के साथ एक नक्शा संलग्न है। जिसके अनुसार वादी रैस्पो0 संख्या 01 विवादित आराजी पर काबिज है। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः आये दिन कब्जे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी के विभाजन की कहा तो प्रतिवादी अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी / अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. अपील संख्या 48 / 12 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट मुन्नी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3478 / 999 / 1–05 बीघा वाके ग्राम खेडली तहसील रूपवास में स्थित है के खातेदार पुन्नी पुत्र भौंदू से उक्त आराजी के 1 / 4 हिस्से को वादी अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.12.2008 को जरिये 92000 रूपये में क्रय किया है। उक्त वयनामा के साथ एक नक्शा संलग्न है। जिसके अनुसार वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काबिज है। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी रैस्पो0 विवादित आराजी पर लटठ् के बल पर एवं फर्जी वयनामा के आधार पर जबरन अपीलाण्ट की कब्जा शुदा आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः आये दिन कब्जे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के विभाजन की कहा तो प्रतिवादी रैस्पो0 साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

4. अपील संख्या 50/12 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट मुन्नी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3478/999/1—05 बीघा वाके ग्राम खेडली तहसील रूपवास में स्थित है के खातेदार पुन्नी पुत्र भौंदू से उक्त आराजी के 1/4 हिस्से को वादी अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.12.2008 को जरिये 92000 रूपये में क्रय किया है। उक्त वयनामा के साथ एक नक्शा संलग्न है। जिसके अनुसार वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काबिज है। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी रैस्पो0 विवादित आराजी पर लटठ् के बल पर एवं फर्जी वयनामा के आधार पर जबरन अपीलाण्ट की कब्जा शुदा आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः आये दिन कब्जे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के विभाजन की कहा तो प्रतिवादी रैस्पो0 साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

5. तीनों अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि खसरा नम्बर 3487/999 01 बीघा 05 विस्वा में से 1/2 भाग का पुन्नी एवं 1/2 भाग का रामदास खातेदार था। अपीलाण्ट मुन्नी ने पुन्नी से दिनांक 29.12.2008 को सवा 6 विस्वा यानि 5445 वर्ग फुट का वयनामा कराया। वयनामा के बाद अपीलाण्ट ने उसमें वयनामा के संलग्न नक्शे अनुसार कब्जा प्राप्त कर पशु बाडा, गैतबाडा, छप्पर, चारदीवारी बना ली। तत्पश्चात्

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुन्नी ने अपनी शेष बची आराजी में से आधी जमीन यानि 2718 वर्ग फुट फूलवती को विक्रय कर दी उक्त वयनामा के साथ जो नक्शा संलग्न किया वह नक्शा अपीलाण्ट द्वारा वक्त वयनामा पूर्व में बनाये गये नक्शे के ऊपर ओवरलेप करते हुये बना दिया। मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होने पर अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन बाबत् तीन दावे क्रमशः मुन्नी बनाम फूलवती मु0न0 17/09, मुन्नी बनाम रामदास मु0न0 09/10, फूलवती बनाम मुन्नी मु0न0 49/09 प्रस्तुत हुये। उक्त तीनो दावो में अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो साक्ष्य ली एवं ना ही तनकीयात कायम की एवं ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया एवं सीधे उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 21.05.2012 को मौके पर जाकर मौका पर्चा तैयार करते हुये, मौका पर्चा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। मौका पर्चा पर भी पक्षकारान की कोई सहमति नहीं ली गयी एवं ना ही कुर्रे ही बनाये गये। अपीलाण्ट को जो भूमि दी गयी है वह 4305 वर्ग फुट दी गयी है जो क्रय शुदा आराजी 5445 से 1140 वर्ग फुट कम है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार जमीन कम करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी को ना तो रकवा कम करने का अधिकार था एवं ना ही कुर्रे बनाने का अधिकार है। नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आज्ञापक है। इस प्रकार विभाजन विधि विरूद्ध है। नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गयी है लगान आदि भी तय नहीं किया गया है। मौका पर्चा बनाते समय पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ एवं ना ही सहमति ही बनी। निर्णय पारित करते समय अपीलाण्ट के जवाब को अधीनस्थ न्यायालय में कोई महत्व नहीं दिया। पश्चातवर्ती विक्रय जो किया उसमें हमारी जमीन का नक्शा बनाकर विक्रय कर दिया। अतः पश्चातवर्ती विक्रय प्रारंभ से ही शून्य है। प्रकरण में पेशी दिनांक 14.06.2012 नियत थी परन्तु निर्णय उससे पूर्व दिनांक 06.06.2012 को कर दिया। जबकि प्रकरण में दिनांक 01.06.2012 को श्रीमान् जिला कलक्टर के यहाँ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था एवं श्रीमान् जिला कलक्टर के कार्यालय से प्रकरण में टिप्पणी चाही गयी थी। उसके बाबजूद निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। बॅटवारा मौके के अनुसार किया गया है एवं सभी हिस्सेदारान को मौके पर रास्ता दिया गया है। मौके पर भूमि कम होने के कारण सभी के हिस्से से आनुपातिक रूप से कम की जाकर विभाजन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी का मौके पर जाकर विवाद को निपटाना विधि निषेध नहीं है। विभाजन में रैस्पो0 को भी क्रयशुदा भूमि से कम प्राप्त हुयी है। परन्तु रैस्पो0 संतुष्ट हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

यदि पश्चातवर्ती वयनामा फर्जी अथवा अपीलाण्ट का नक्शा बनाते हुये कराया गया है तो अपीलाण्ट ने उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गयी। मौका रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादी के अलावा ग्राम के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। विभाजन राजीनामा/सहमति से ही हुआ है। जहॉ तक लगान का प्रश्न है। रिकार्ड में इन्द्राज होने पर लगान तय किया जाता है। जब प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य सहमति बन गयी तो साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तीनों दावो का एक साथ निस्तारण किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2017(1) पेज 1 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि उक्त तीनों प्रकरणो में अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा प्राप्त होने पर ना तो कोई साक्ष्य ली है एवं ना ही दावा एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में कोई तनकीयात ही कायम की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी दिनांक 14.06.2012 नियत थी परन्तु अपीलाधीन आदेश पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक से पूर्व ही दिनांक 06.06.2012 को पारित किया गया है। जबकि पत्रावली पर अपीलाण्ट की ओर से श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.06.2012 से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा टिप्पणी चाही गयी थी। इसके अलावा प्रकरण में कोई राजीनामा भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में पक्षकारो में मध्य राजीनामा होना अंकित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी में से दिनांक 29.12.2008 को 5445 वर्ग फुट का वयनामा कराया है। तत्पश्चात् दिनांक 23.01.2009 को शेष बची भूमि में से 2718 वर्ग फुट का वयनामा फूलवती के पक्ष में निष्पादित हुआ है एवं उक्त वयनामा के साथ जो नक्शा बनाया गया है उसमें भी प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त नक्शा पूर्व में अपीलाण्ट द्वारा क्रय की गयी भूमि को ओवरलेप करते हुये बनाया गया है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलाण्ट को क्रय शुदा भूमि से कम रकवा दिया गया है। यह सही है कि फूलवती एवं विवादित आराजी के विक्रेता को भी भूमि उनके हिस्से से कम प्राप्त हुयी है। परन्तु इस प्रकार भूमि कम करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को भूमि कम ही करनी थी तो उन्हें विक्रेता की शेष रही भूमि से कम करना ज्यादा न्यायसंगत होता। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी स्वयं ने मौके पर जाकर मौका पर्चा बनाया है एवं उसी मौका पर्चा में विवादित आराजी के मौके का नक्शा बनाते हुये, विभाजन किया है। उक्त विभाजन प्रस्तावो को नियम व न्यायिक दृष्टि से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उक्त विभाजन प्रस्ताव में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

9. अतः आदेश है कि तीनों अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2012 निरस्त किये जाकर तीनों प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये एवं पक्षकारो की उपस्थिति में पुनः उनके क्रय शुदा रकवा की कमी को पूर्ति करते हुये पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर एवं उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्ति/सुनवाई का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर